भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1506**
12 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

**विषयः- नई कृषि योजनाएं**

**1506. श्री नलीन कुमार कटीलः**
**श्री डी.के. सुरेशः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई नई पहलों/योजनाओं/कार्यक्रमों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने कार्यान्वित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इस योजना की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)**

(क) हाल के वर्षों के दौरान किसानों के कल्याण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहलों/योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) से (घ): विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया था। रिपोर्ट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश के किसानों के कल्याण के लिए अत्यधिक प्रासंगिक पाया गया है और इसलिए इन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर उच्च स्तर पर बारीकी से निगरानी और समीक्षा की जाती है, और सरकार यह सुनिश्चित

करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श करती रहती है कि किसी भी चुनौती या बाधा की तुरंत पहचान की जाए और समय पर उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।

**अनुबंध**

**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं/पहलों का संक्षिप्त**

| क्र.सं. | योजना | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो अपवर्जन के अध्यधीन भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से, देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ तीन समान चौ-मासिक किस्तों में अंतरित किया जाता है। अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों (किसानों) को विभिन्न किस्तों द्वारा से 2.81 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित किए गए हैं। |
| 2. | प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) | सबसे कमजोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 12.09.2019 से प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। पीएम-केएमवाई छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना है। अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की कुल संख्या 23.38 लाख है। |
| 3. | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) | पीएमएफबीवाई को वर्ष 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था ताकि किसानों को फसलों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-निर्वाय प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान किया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 से योजना के तहत कुल 5549.40 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया था। दावे के तौर पर कुल 150589.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. |
| 4. | ब्याज छूट योजना (आईएसएस) और किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान | ब्याज छूट योजना (आईएसएस) खेती और पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों का अभ्यास करने वाले किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। आईएसएस एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। किसानों को शीघ्र और समय पर ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त 3% की छूट भी दी जाती है, |

| | | |
|---|---|---|
| | | जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएसएस का लाभ प्रकृति की आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वाले छोटे और सीमांत किसानों को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए प्राप्त गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर) के आधार पर फसलोपरांत ऋण के लिए भी उपलब्ध है।<br>वर्ष 2020 में घोषित केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत 20-10-2023 तक, अभियान के भाग के रूप में 5,47,819 करोड़ रुपये की संस्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 482.73 लाख नए केसीसी आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं। |
| 5. | 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन | भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की है। एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो आगे स्थायी आधार पर बेहतर विपणन अवसरों और बाजार संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एफपीओ के लिए व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन सहित 05 वर्षों की अवधि के लिए एफपीओ को पेशेवर हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को जोड़ता है। दिनांक 31.10.2023 तक, देश में योजना के तहत कुल 7476 एफपीओ पंजीकृत थे। |
| 6. | कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) | मौजूदा अवसंरचना की कमियों को दूर करने और कृषि अवसंरचना में निवेश जुटाने के लिए, वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (फंड) लॉन्च किया गया था। कृषि अवसंरचना कोष (फंड) व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जो ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्तियों का प्रबंधन करता है।<br>एआईएफ के तहत दिनांक 17.11.2023 तक 42,447 परियोजनाओं के लिए 32,042 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, इस कुल संस्वीकृत राशि में से 25,504 करोड़ रुपये की राशि के लिए योजना का लाभ दिया गया है। इन संस्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 54,487 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। |
| 7. | राष्ट्रीय खाद्य तेल- ऑयल पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी) | पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) नाम से एक |

| | | |
|---|---|---|
| | | नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। मिशन वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त शामिल करेगा। |
| 8. | राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) | मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास एवं "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। |
| 9. | राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) | सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति - (बीपीकेपी)" के माध्यम से वर्ष 2019-20 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। बीपीकेपी के तहत 8 राज्यों में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। |
| 10. | न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) | सरकार ने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2018 में नई एमएसपी नीति अपनाई। सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। धान (सामान्य) के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। |
| 11. | अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष | 2021 में यूएनजीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष (आईवाईएम) 2023 की घोषणा के बाद से, सरकार ने आईवाईएम 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय मिलेट (श्री अन्न) को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक सक्रिय बहु हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण अपनाया है। मिलेट (श्री अन्न) मूल्य श्रृंखला में अंतराल और चुनौतियों की जांच करने और उपयुक्त समाधानों के कार्यान्वयन के लिए, 6 कार्यबलों का गठन किया गया था। साथ ही, देश में पोषक अनाजों की नवीनतम उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 सीड-हब स्थापित किए गए हैं। मिलेट (श्री अन्न) मिशन ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सहित 13 राज्यों में शुरू किए गए हैं। 500 से अधिक स्टार्ट-अप और 350 एफपीओ स्थापित |

| | | |
|---|---|---|
| | | किए गए हैं और अब तक मिलेट (श्री अन्न) पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत हैं। |
| 12. | कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा | कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को देखते हुए, एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इस प्रौद्योगिकी को किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों हेतु किफायती बनाने के लिए, किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100% लागत की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान ड्रोन संवर्धन के लिए अब तक 138.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। |
| 13. | नमो ड्रोन दीदी | सरकार ने वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 तक हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर स्तरीय महासंघ (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (सब्सिडी को छोड़कर खरीद की कुल लागत) जुटा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर ब्याज सहायता @ 3% प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की उपज में वृद्धि और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका |

| | | |
|---|---|---|
| | | सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। |
| 14. | कृषिस्टार्टअप्स | आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019-20 से, 1259 स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है और इन स्टार्ट-अप्स को वित्त पोषित करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। |
| 15. | कृषिस्टैक | यह बेहतर योजना, निगरानी, नीति निर्माण, कार्यनीति निर्माण और योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक संघीय संरचना है। कृषिस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित मूलभूत परतें हैं: -<br>• कोर रजिस्ट्रियां<br>• आधार डेटाबेस<br>• किसान डेटाबेस: किसान आईडी भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है<br>• भूखंडों का भू-संदर्भ<br>• फसल सर्वेक्षण, फसल योजना और<br>• मृदा मानचित्रण, मृदा उर्वरता<br>• राज्य के लिए एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस।<br>• आंकडों का आदान प्रदान |

*****